न्यायालय सेशन न्यायाधीश, झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश- **आलोक सुरोलिया,** आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

1- आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.719/2025

CIS No.705/2025

01- सुनील कुमार साहू पुत्र बाबू साहू, आयु 27 वर्ष, निवासी- सरेड़ी, पुलिस थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़ (राज0)

02- धनराज पुत्र चांदमल, आयु 25 वर्ष, निवासी बरड़ावदा, पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़(राज0)

03- ललित मीणा पुत्र अमोलक चंद, आयु 22 वर्ष, निवासी खरेडिया, पुलिस थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़ (राज0)

04- बंटी मीणा पुत्र अमोलक चंद, आयु 25 वर्ष, निवासी खरेडिया, पुलिस थाना कामखेड़ा जिला झालावाड़ (राज0)

05-परमानंद पुत्र पूरीलाल, आयु 32 वर्ष, निवासी फोकरड़ा, पुलिस थाना अकलेरा जिला झालावाड़ (राज०) **....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

ब ना म

राजस्थान राज्य...**अप्रार्थी/अभियोगी**

2- आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.720/2025

CIS No.706/2025

01- रामबाबू पुत्र चैनसिंह, आयु 28 वर्ष, निवासी- तलाईबेह, पुलिस थाना दांगीपुरा जिला झालावाड़ (राज0)

02-सुजान सिंह लोधा पुत्र भागचंद, आयु 33 वर्ष, निवासी झीतापुरा, पुलिस थाना असनावर जिला झालावाड़ (राज0)

03-हरिप्रसाद पुत्र चौथमल आयु 55 वर्ष निवासी बंजारा बस्ती, मनोहरथाना रोड़, अकलेरा, जिला झालावाड़ (राज०) **....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण**

ब ना म

राजस्थान राज्य...**अप्रार्थी/अभियोगी**

3- आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.724/2025

CIS No.710/2025

संदीप शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा, आयु 41 वर्ष, निवासी वार्ड नं० 6 गुलाथ जिला कपूरथला (पंजाब) **....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राजस्थान राज्य..**अप्रार्थी/अभियोगी**

4- आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.725/2025
CIS No.711/2025

बंटी मीणा पुत्र रामप्रसाद आयु 30 वर्ष, निवासी ग्राम अकतासा पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड़(राज0) **....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राजस्थान राज्य..**अप्रार्थी/अभियोगी**

5- आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं.729/2025
CIS No.714/2025

चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचन्द आयु 30 वर्ष, निवासी अकतासा पुलिस थाना असनावर, जिला झालावाड़(राज0) **....प्रार्थी/अभियुक्त**

ब ना म

राजस्थान राज्य..**अप्रार्थी/अभियोगी**

जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.10/2025, पुलिस थाना-सायबर झालावाड़ अपराध अंतर्गत धारा 316(2), 316(5), 318(4), 319(2), 336(3),61(2), 111(2)(ii),111(4) भा.न्या.सं. 66(C), 66(D) IT Act

उपस्थितः-

1-सर्व श्री प्रेमचन्द मीणा, अमरसिंह लववंशी, मुकेश शर्मा, राम माहेश्वरी अधिवक्तागण, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

2- लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 10.11.2025**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से पृथक-पृथक जमानत के यह प्रार्थना-पत्र धारा 483 भा.ना.सु.सं. के तहत प्रस्तुत किये गये, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। पांचो प्रार्थना पत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से पांचो प्रार्थना पत्रो का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। अनुसन्धान पत्रावली तलब कर अवलोकन

किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2- प्रकरण के संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2025 को साईबर थाना झालावाड पर आम आदमी झालावाड के नाम से एक गोपनीय परिवाद इस आशय का प्राप्त हुआ कि "प्रार्थी झालावाड जिले का निवासी है तथा प्रार्थी एक संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, इसका नाम आसिक है जो कि गोडिया पुलिस थाना कामखेडा का रहने वाला है, आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 है। आसिक इस गांव का प्रभावशाली व्यक्ति है इसलिये प्रार्थी द्वारा अपना नाम गोपनीय रखा गया है। प्रार्थी को शक है कि आसिक द्वारा किसी सरकारी योजना में घपला किया जा रहा है जिसका पैसा इसके खाते में आता है श्रीमान से निवेदन है कि आसिक की जांच करने की कृपा करें।" उक्त परिवाद में शिकायतकर्ता का नाम पता अज्ञात परन्तु परिवाद में अंकित तथ्यों से मामला किसी साईबर आर्थिक अपराध का प्रतीत होने से जांच किया जाना आवश्यक होने पर परिवाद पार्ट-3 कमांक 06 दिनांक 08.08.2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच श्री रवि सेन कानि. 1591 के जिम्मेें की जाने पर जांच प्रारंभ की गयी। जांचकर्ता श्री रवि सेन पुत्र ओमप्रकाश जाति सेन उम्र 30 साल निवासी भवानीमण्डी हाल कानि. 1591 साईबर थाना झालावाड द्वारा परिवाद की जांच की जाकर दिनांक 21.10.2025 को विस्तृत जांच रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात फर्द विश्लेषण बैंक अकाउण्ट, फोन पे स्टेटमेन्ट व सीडीआर विश्लेषण रिपोर्ट पृथक पृथक परिशिष्ट अनुसार सायबर थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत की कि दौराने जांच परिवाद में अंकित संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की कैफ आईडी प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नंबर का धारक आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड होना पाया गया। इस पर उक्त मोबाईल नंबर की कॉल डिटेल तथा इस नंबर से लिंक बैंक खातों बाबत युपीआई गेटवे, फोन पे से डिटेल्स प्राप्त की तो उक्त आसिफ अली के मोबाईल नंबर 9929618733 से कुल 09 बैक खाते स्वयं व परिजनों के नाम से खुले हुए होकर लिंक होना पाए गए। उक्त बैक खातो के बैंक स्टेटमेंट संबंधित बैंक से प्राप्त करने पर आसिफ अली स्वयं के नाम पर खुले हु१ए बैक खाता संख्या सं० 1-स्टेट बैक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 61275490881, 02- आईसीआईसीआई बैक खाता संख्या 435101001730, 03-सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716, व 04- इन्डसइन्ड बैंक खाता संख्या 100200512854 तथा स्वयं की पत्नी रिजवाना बानों के नाम से 05- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि राजकोष से जमा व निकासी होने के बडी मात्रा में

संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। आसिक अली के एसबीआई खाता संख्या 61275490881 में एक ही दिवस दिनांक 16.07.2024 को 10 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय अकलेरा से जमा होना, आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 435101001730 में दिनांक 17.07.2025 को एक ही दिवस दिनांक 17.07.2025 को 11 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1000 व 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 5286260716 में माह सितम्बर 2024 से जनवरी 2025 की अवधि पांच माह में ही दर्जनों बार पेंशन योजनाओं की राशि 1150, 1000, 750 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर से जमा होना, इन्डसइन्ड बैंक खाता संख्या 100200512857 में दिनांक 17.07.2025 को एक दिवस में ही 16 बार पेंशन योजनाओं की राशि 1500, 1150, 1000 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना एवं आसिक अली की पत्नी रिजवाना के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया खाता संख्या 41611871232 में दिनांक 16.07.2024 को एक दिवस में ही 10 बार 1150, 1000 रूपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का रिकॉर्ड पाया गया जिससे संदिग्ध आसिक के बैंक खातों में सरकारी खजाने से भारी मात्रा में धनराशि जमा होकर उसकी निकासी होने बाबत संदिग्ध लेनदेन प्रमाणित पाया गया। इस पर संदिग्ध आसिक के मोबाईल नंबर 9929618733 की प्राप्त कॉल डिटेल का विश्लेषण करने पर उक्त आसिक अली का संपर्क संदिग्ध राजुलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807 से होना पाया गया। इस पर उक्त राजुलाल सैनी के मोबाईल नंबर 9414691807 की सीडीआर प्राप्त विश्लेषण किया गया तो जिला झालावाड़ के मनोहरथाना व अकलेरा क्षैत्र के 01-परमानंद पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742133757.02. महावीर पारेता पुत्र जगदीच पारेता निवासी विन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208, 03. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 संपर्क में होना पाये जाकर सीडीआर संदिग्ध पायी गयी। इस पर उक्त संदिग्ध चारों व्यक्तियों के मोबाईल नंबरों से लिंक बैंक खातों की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर 01. राजूलाल सैनी पुत्र किशोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा के मोबाईल नंबर 9414691807 से उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक में स्वयं के नाम का खाता संख्या 2215110010052099, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक में खाता संख्या 1911216223893902 व स्वयं के

परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के नाम से एयू बैंक का खाता संख्या 1751220913473492 लिंक होना पाये गये। उक्त तीनों बैंक खातों के स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर स्वयं राजूलाल के उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 2215110010052099 मे दिनांक 20.05.2024 व 21.05.2024 दो दिवस में कुल 15 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, एयु स्मॉल फाईनेन्स बैंक खाता संख्या 1911216223893902 मे दिनांक 10.03.2022 को एक ही दिवस में कुल 27 बार पेंशन योजना की राशि 1000 रूपये राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से जमा होना, तथा राजुलाल के परिजन श्रीमती मनीषा सैनी के एयू बैंक का खाता संख्या 1751220913473492 में दिनांक 28.11.2022 को एक ही दिवस में कुल 06 बार पेंशन योजना की राशि 750 रूपये तथा अन्य तिथियों में भी इसी प्रकार सरकारी योजना की धनराशि राजकीय कोष कार्यालय से जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 02. परमानंद मीणा के मोबाईल नंबर 7742133757 से स्वयं की पत्नी संतोषबाई मीणा पत्नी परमानंद मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 परिजन रिंकू मीणा का एसबीआई बैक खाता संख्या 37002559554 लिंक होना पाये गऐ। दोनो बैंक खातों का स्टेटमेंट प्राप्त करने पर रिंकू मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस में 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा संतोषबाई मीणा का एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 में दिनांक 10.03.2022 को एक दिवस में 50 बार पेशन योजनाओं की राशि 750 व 500 रूपये राजकीय कोष कार्यालय से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इस प्रकार की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 03. महावीर पारेता. पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208 की फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 20349331222 व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 लिंक होना पाया गया। उक्त खातों का बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर दिनांक 24.02.2025 को एक ही दिवस में 07 बार पीएम किसान निधि सरकारी योजना की राशि 2000 रूपये राजकीय कोष से जमा होना व बैंक ऑफ बडौदा खाता संख्या 32950200000554 में दिनांक 29.03.2021 व 31.03.2021 को कुल 06 बार धनराशि जमा होने का संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। संदिग्ध 04. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 की फोन पे डिटेल्स

प्राप्त करने पर उक्त मोबाईल नम्बर से स्वयं के नाम से एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198, इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 लिंक होना पाये गये। इन खातो के बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त करने पर स्वयं सुनील साहू के नाम एसबीआई बैंक खाता संख्या 33607210198 में दिनांक 12.09.2024 को एक दिवस में 17 बार राजकीय कोष कार्यालय से विभिन्न सरकारी योजनाओं की राशि 750,1000 व 1150 रूपये राजकीय कोष से जमा होना तथा अन्य तिथियों में भी इसी प्रकार राशि जमा होने का संदिग्ध रिकार्ड पाया गया। सुनील साहू के इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता संख्या 046110020636 में दिनांक 14.03.2025 को एक ही दिवस 08 बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना तथा परिचित श्रीमती अनोखबाई पत्नी रामस्वरूप का पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 2347001700015785 में दिनांक 07.01.2025 से 10.01.2025 तक लगातार दिवसों में विभिन्न पेंशन योजनाओं की धनराशि जमा होने के संदिग्ध ट्राजेक्शन पाये गये। इस प्रकार परिवाद में वर्णित संदिग्ध आसिक अली व उसके साथ जुडे उक्त लोगो राजूलाल सैनी, परमानन्द मीणा, महावीर पारेता व सुनील कुमार साहू द्वारा अपने मोबाईल नम्बरों से अनेकों बैंक खाते लिंक कर, कई सारे बैंक खाते खुलवाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा निकासी के ट्रांजेक्शन होकर इन सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी बाबत पूर्णतया संदिग्ध रिकॉर्ड पाया गया। सरकारी योजनाओं की इस घपलेबाजी के कृत्य में और भी लोगो के जुडे होने तथा बडा नेटवर्क होने की संभावना होने पर जांचकर्ता द्वारा जिले की तहसील मनोहरथाना व अकलेरा क्षेत्र में संभावित लाभार्थी लोगों से जानकारियां प्राप्त की गई, विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी एजेन्सीज तहसील, पटवारी, ग्राम पंचायत, ई-मित्र व वितीय संस्थानों बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि से गोपनीय जानकारियां व सरकारी योजनाओ के पात्रता, आवेदन, क्रियान्वयन व लाभार्थियों को धनराशि हस्तान्तरण की प्रक्रियाओ बाबत जानकारी प्राप्त करनते हुए संदिग्धो बाबत तकनीकी माध्यमों से आसूचना संकलन की गई। आसूचना व डाटा संकलन से इन लोगों का संपर्क रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केशरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 से होना पाया जाकर रामावतार सैनी ही इस घपलेबाजी का मास्टरमाइंड होकर सारे सिस्टम व प्रोसेस को ऑपरेट करना जानकारी में आया। इस पर संदिग्ध रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 की कॉल डिटेल तथा यूपीआई गेटवे फोन पे की डिटेल्स प्राप्त की गई। प्राप्त फोन पे डिटेल्स का विश्लेषण किया तो रामावतार सैनी जिला झालावाड

की तहसील अकलेरा च मनोहरथाना के 01-. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 02. शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 05. राजु तंवर निवासी छान हाल वांगीपुरा जोहड मोबाईल नंबर 7357900260, 9981884724. 06. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवाडिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 के संपर्क में होना पाया जाकर इन सभी के साथ उसके फोन पे पर संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाये गये। इस पर इन सभी के मोबाईल नम्बरों से लिंक बैंक खातों का रेकार्ड प्राप्त किया तो 01. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 8890655092 से सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 3917873735, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक खाता संख्या 046110044208, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 व खाता संख्या 50200036210001, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428, फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 लिंक होना पाये गये। जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बिहारी गोयल के सेन्ट्रल बैक खाता संख्या 3917873735 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाड़ा, प्रतापगढ, श्री गंगानगर व जोधपुर से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी संदिग्ध धनराशि जमा होना इण्डिया पोस्ट पैमेंट बैंक खाता सख्या 046110044208 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100233390127 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, प्रतापगढ, श्री गंगानगर, से संदिग्ध धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक के ही खाता संख्या 50200036210001 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, श्री गंगानगर व जोधपुर से संदिग्ध धन राशि जमा होना, बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100615428 में वर्ष 2024 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय प्रतापगढ़, जोधपुर शहर, नागौर व बांसवाडा से संदिग्ध धनराशि तथा फीनो बैंक खाता संख्या 20304204022 में वर्ष 2024 व 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, उदयपुर से संदिग्ध धनराशि जमा होना पाया गया संदिग्ध शिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाश विहार कॉलोनी मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 7340101479 से बैंक ऑफ

बडौदा का खाता संख्या 32958100024614, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889, खाता संख्या 46220100608148, इण्डिया पोस्ट पैमेट बैंक का खाता संख्या 046110064250, बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32958100038989 तथा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 स्वयं व परिजनों के नाम से होकर लिंक होना पाये गये, जिनके पृथक पृथक बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण करने पर बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32958100024614 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण से, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3939506430 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर से, स्टेट बैंक आफ इण्डिया का खाता संख्या 38787003027 में वर्ष 2020 व 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालयों से संदिग्ध धनराशि जमा होना, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100620889 में वर्ष 2025 में विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जोधपुर, बुंदी से, राजस्थान ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608148 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा से, इण्डिया पोस्ट पैमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064250 में वर्ष 2025 में राजकीय कोष कार्यालयों तथा वर्ष 2022 से अब तक विभिन्न तिथियों में प्रधानमंत्री किसान निधि सरकारी योजना की धनराशि जमा होना, बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32958100038989 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर ग्रामीण, बांसवाडा, जयपुर शहर से संदिग्ध धनराशि एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 43480454934 में वर्ष 2025 की विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय से संदिग्ध धनराशि जमा होना पायी गयी। संदिग्ध 03. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना के मोबाईल नंबर 6376597936 से बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338, एचडीएफसी बैंक का खाता संख्या 50100358728397, फिनी बैंक का खाता

संख्या 20156853542 स्वयं के परिजनो व अन्य परिचितो के नाम से खुलाए होकर लिंक होना पाए गए जिनका बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100608022 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों में राजकीय कोष कार्यालय जयपुर बांरा कोटा, जयपुर ग्रामीण व जोधपुर शहर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, मुआवजा राशि व प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना की धन राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 40540718530 में वर्ष 2022 से अब तक तथा एसबीआई बैंक का खाता संख्या 40511928327 में वर्ष 2024-25 मे अब तक राजकीय कोष से धन राशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3867722338 में वर्ष 2021 से अब तक प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजना तथा विभिन्न योजनाओं की धनराशि राजकीय कोटा, जोधपुर से जमा होना, एचडीएफसी कोष कार्यालय बांरा टोक, बून्दी, अलवर, जयपुर, बैंक खाता संख्या 50100358728397 में वर्ष 2022 से अब तक राजकीय कोष कार्यालय बांरा, कोटा, टोंक बुन्दी, अलवर से विभिन्न सरकारी योजनाओं, की धन राशि जमा होना एवं फिनो बैंक खाता संख्या 20156853542 में 2022 से अब तक आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (digaster management information system) के सरकारी पोर्टल 'डीएमआईएस से मुआवजा राशि जमा होने का संदिग्ध रिकोर्ड पाया गया है। संदिग्ध 04. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा के मोबाईल नंबर 9829905140 से बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता संख्या 32950100014965, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046110064007, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 इण्डिया का खाता संख्या 39261289461, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865, बडोदा राजस्थान 46220100609800, 48690100006608 व खाता संख्या 46220100468178 स्वयं तथा अपने परिजन व परिचितों के नाम से खुले होकर लिंक होना पाये गये जिनके स्टेटमेन्ट प्राप्त किए गए तो रामबाबु के बैंक ऑफ बडौदा का खाता संख्या 32950100014965 में वर्ष 2023 व 2024 विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय श्रीगंगानगर, टोंक, बुंदी, अजमेर व बांसवाडा से धनराषि जमा होना, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक का खाता संख्या 046.110064007 में वर्ष 2021 व

2022 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, एचडीएफसी बैंक खाता संख्या 50100335146980 में वर्ष 2023 व 2024 की विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, बांसवाडा, अजमेर, बूंदी व श्री गंगानगर से राषि जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2022 की अवधि में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की धनराषि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261289461 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609798 में वर्ष 2023 व 2024 में राजकीय कोष कार्यालय झालावाड, अजमेर व बूंदी से जमा होना तथा वर्ष 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 3994734879 में वर्ष 2021 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय जयपुर, कोटा, बांसवाडा, अलवर, श्री गंगानगर से धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100609799 में वर्ष 2022 व 2024 में विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, अजमेर व बूंदी से धनराशि जमा होना तथा 2020 से 2025 की अवधि में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होना, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का खाता संख्या 39261210401 में वर्ष 2024 से अब तक विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100613087 में वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय सचिवालय, अजमेर, बूंदी, श्रीगंगानगर, जयपुर ग्रामीण से तथा वर्ष 2021 में विभिन्न तिथियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राषि जमा होना, एसबीआई बैंक का खाता संख्या 39261141865 में वर्ष 2024 की विभिन्न तिथियों को सरकारी योजनाओं की धनराशि जमा होना, बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 46220100609800, 48690100006608 व 46220100468178 में वर्ष 2019 से अब तक की अवधि में विभिन्न तिथियों को

राजकीय कोष कार्यालय बांसवाडा, अजमेर, बूंदी, अलवर, झालावाड, जयपुर, बांसवाडा व जयपुर ग्रामीण से तथा प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जमा होने का संदिग्ध रिकोर्ड पाया गया है। संदिग्ध 05. राजू तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड के मोबाईल नंबर 9981884724 से स्वयं के नाम से खुला हुआ बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खाता संख्या 46220100625107 लिंक होना पाया गया। जिसका बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण किया तो वर्ष 2001 में सो की जमा होता पाया गया। इसी प्रकार संदिग्ध 06. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुंवाडिया, तहसील मनोहर के मोबाईल नंबर 9111789761 से एफडीएफसी बैंक का स्वयं नाम से खुला हुआ खाता संख्या 50100358728371 लिंक होना पाया गया जिसका बैंक स्टेटमेन्ट प्राप्त कर विश्लेषण किया गया तो उक्त बैंक खाते में 2020 से अब तक विभिन्न तिथियों को राजकीय कोष कार्यालय बारां, टोंक, बुन्दी, अलवर, कोटा से तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना पायी गयी। उपरोक्त संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खातों के स्टेटमेन्ट, फोन पे डिटेल्स व सीडीआर का विष्लेषण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि ये सभी लोग रामावतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केसिंगपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा के अभी भी निरतंर सक्रिय संपर्क में है तथा इनके द्वारा रामावतार सैनी को बडी मात्रा में धनराशि नकद भी दी गई है साथ ही रामावतार सैनी के बैंक खातों में भी ट्रांसफर की गयी है। रामावतार सैनी के मोबाईल नंबर 9414649415 की यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स प्राप्त करने पर कुल 14 बैंक खाते जिनमें 12 स्वयं के तथा 02 परिजन के नाम पर विभिन्न बैंकों में खुले होकर उक्त मोबाईल नंबर से लिंक होना पाया गया। रामावतार सैनी के मोबाईल नम्बर 9414649415 से लिंक बैंक खातों बाबत फोन पे डिटेल्स प्राप्त कर विश्लेषण किया तो पाया गया कि उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा रामावतार सैनी के बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर भी की गयी है। विश्लेषण के मुताबिक अवधि 2024-25 में संदिग्ध 01. आसिक अली द्वारा राशि 9,80,000 रूपये, 02. राजू लाल सैनी के बैंक खातो से 4,24,000 रूपये, 03. सुनील साहू द्वारा राशि 11000 रूपये, 04. परमानंद मीणा द्वारा 50,000 रूपये, 05. बिहारी गोयल द्वारा 14,91,000 रूपये, 06. शिवनारायण तंवर द्वारा 26,900 रूपये, 07. धीरप तंवर द्वारा 2,33,000 रूपये एवं 08. राजू तंवर निवासी छान द्वारा 4,85,800 रूपये संदिग्ध रामावतार सैनी के बैंक खातों में ट्रांसफर किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि रामावतार सैनी ने इस कार्य को करने के लिए एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसका मुख्य सरगना वह स्वय वह स्वयं है। रामवतार व इसके एजेन्ट्स के माध्यम से भोले भाले आम नागरिक, ग्रामीण

काश्तकार लोगों को झांसे में लेकर उनके बैंक खाता आधार कार्ड आदि का विवरण प्राप्त कर उन खातों को केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा मुआवजा स्कीम से किसी प्रकार जोडकर उनका अनुचित लाभ इनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। रामावतार सैनी के प्राप्त फोन पे स्टेटमेन्ट का विश्लेषण करने पर उपर्वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों के अलावा 01. रामबाबू मोबाईल नंबर 6376281218, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचन्द्र निवासी इकतासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 03. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पो. कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 04. बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम निवासी देहरीनाथ एमपी हाल छान तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6264899744 का भी रामावतार सैनी के साथ संदिग्ध ट्रांजेक्शन व सीडीआर पाये गये। फोन पे डिटेल्स से 01. रामबाबू द्वारा राशि 75,600 रूपये, 02. चन्द्रप्रकाश सुमन द्वारा 20,68,300 रूपये, 03. रोडुलाल द्वारा 19000 रूपये एवं 05. बिट्ठल तंवर द्वारा 60000 रूपये रामावतार सैनी के विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाना पाया गया है। इस प्रकार परिवाद में अब तक की जांच, रेकार्ड पर आये साक्ष्य सी.डी.आर., यूपीआई गेटवे फोन पे डिटेल्स, संदिग्ध व्यक्तियों के बैंक खाता स्टेटमेंन्ट, आसूचना संकलन एवं तकनीकी निगरानी व डाटा संकलन से यह स्पष्ट हुआ कि उपरोक्त वर्णित संदिग्ध व्यक्तियों में से कई लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं व क्रियाकलापों के इंटरनेट सेवा प्रद्राता सिस्टम (ई-पोर्टल) तथा ई मित्र सेवाओं की जानकारी रखते है। संदिग्ध रामावतार सैनी इस संगठित गिरोह का सरगना एवं मास्टरमाईड है जो केन्द्र व राज्य सरकार पेंशन योजनाओं, तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि के लिए पात्र लाभार्थियों का दा जाने वाली पेंशन सहायता राशि बाबत संचालित इन्टरनेट पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल के बारे में तथा इनकी संचालन प्रकिया (Operating System) तथा लैण्ड सिडिंग की पूरी जानकारी रखता है और संबंधित पोर्टल सिस्टम के किन्ही कार्यकारी व्यक्तियों के सहयोग से डाटा अपलोड व लैण्ड सिडिंग कर अपात्र लाभार्थीयों को भी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु डाटा अपलोड व अप्रूव्ड करवाता है। इस हेतु वह ई-सर्विसेज की जानकारी रखने वाले को अपने एजेन्ट्स बनाता है, फिर ये बनाये गये एजेन्ट्स गांव देहात में ऐसे व्यक्ति जो किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता नही रखते या अगर किसी परिवार में यदि एक सदस्य किसी योजना का लाभार्थी है तो उसी सदस्य के अन्य बैंकों में भी खाते खुलवाकर एक से अधिक बार उसी योजना का लाभ दिलाने तथा परिवार के अन्य सदस्यों को

उसी योजना का लाभ दिलाने का झांसा व प्रलोभन देकर उनसे उनके बैंक खाता व पहचान दस्तावेज आधार/जनाधार आदि प्राप्त कर एकत्रित डाटा रामावतार सैनी को उपलब्ध करवाते है। जिन्हे रामावतार सैनी संबंधित वेलफेयर/स्कीम पोर्टल पर फर्जी तरीके से अपलोड व अप्रूव्ड करवाकर उन योजनाओं से फर्जी तरीके से जोडकर बडी भारी मात्रा में करोडों रूपयों की राजकोषीय धनराशि का गबन व दुरूपयोग कर रहे हैं। इसकी ऐवज में संबंधित लाभार्थी को मिलने वाली विभिन्न योजनाओं की धनराशि का तय हुई शर्तो के मुताबिक प्रतिशत के हिसाब से भारी मात्रा में अनुचित आर्थिक लाभ रामावतार सैनी व उसके एजेन्ट्स द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तथा सरकारी धनराशि की इस घपलेबाजी में उपरोक्त व्यक्तियों के अलावा भी बडी संख्या में अन्य लोगो के संलिप्त होने की पूरी-पूरी आशंका है, जिनके खिलाफ तुरन्त ही विधिक कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार 1. रामवतार सैनी पुत्र मूलचंद निवासी केषरीसिंहपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414649415 व उसके सहयोगी एजेन्टस 02. आसिक अली पुत्र ईशाले खान निवासी मेवाती मोहल्ला गोडिया पोस्ट बांसखेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड, 03. राजुलाल सैनी पुत्र किषोर राम सैनी निवासी डुन्डी की ढाणी बडियाल कलां जिला दौसा मोबाईल नंबर 9414691807, 04. परमानंद मीणा पुत्र पुरीलाल मीणा निवासी फोकरडा तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742133757, 05. महावीर पारेता पुत्र जगदीश पारेता निवासी बिन्दायका तहसील अकलेरा जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799737208. 06. सुनील कुमार साहु पुत्र श्री बाबू साहु निवासी सरेडी तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 9799698996 07. बिहारी गोयल पुत्र मोतीलाल चमार निवासी पहाडपुरा तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 8890655092, 7665850262, 08. षिवनारायण पुत्र रायसिंह तंवर निवासी मोहनपुरा हाल कैलाष विहार कॉलोनी मनोहरथाना मोबाईल नंबर 7340101479, 09. धीरप पुत्र बनेसिंह तंवर निवासी ताजपुरिया हाल बाईपास रोड मनोहरथाना मोबाईल नंबर 6376597936, 9571891220, 10. रामबाबु तंवर पुत्र चैनसिंह निवासी तलाईबेह दांगीपुरा मोबाईल नंबर 9829905140, 11. राजु तंवर निवासी छान हाल दांगीपुरा जोहड मोबाईल नंबर 7357900260, 9981884724, 12. राजु तंवर पुत्र मोतीलाल निवासी छुवाडिया तहसील मनोहरथाना मोबाईल नंबर 9111789761 13. रामबाबु मोबाईल नंबर 6376281218, 14. चन्द्रप्रकाष सुमन पुत्र हरिषचन्द्र निवासी इकतासा तहसील असनावर, जिला झालावाड मोबाईल नंबर 7742491734, 15. रोडुलाल पुत्र इन्दर सिंह निवासी चांदपुरा भीलान पो. कंवरिया तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड मोबाईल नंबर 6376879970 एवं 16.

बिट्ठल तंवर पुत्र गंगाराम मोबाईल न. 6264899744 द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए सोची समझी सुनियाजित योजना के तहत षडयंत्रपूर्वक भोले भाले आम ग्रामीण देहाती व्यक्तियों को झांसा व प्रलोभन देकर इनके बैंक/पहचान दस्तावेज प्राप्त कर किसी अन्य के राजस्व अथवा पात्रता रेकार्ड के साथ जोडकर धोखाधडी पूर्वक कम्प्यूटर संसाधनों / सरकारी इन्टरनेट सेवाओं का उपयोग कर पहचान बदलते हु केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी व पेंशन योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किस सम्मान निधि योजना आदि के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि बाबत संचा इन्टरनेट सेवा प्रदाता सर्विसेज पोर्टल तथा आपदा प्रबंधन सूचना सिस्टम (डीएमआईएस) पोर्टल का दुरूपयोग कर बडे स्तर पर राजकीय कोष की करोडों रूपयें धनराशि हस्तांतरण से जमा नि कर दुरूपयोग किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 111(2) (11) (4) बीएनएस 2023 व 66सी, 66डी आईटी एक्ट का संज्ञेय अपराध बनना पाया जाता है। अतः परिवाद जांच रिपोर्ट मय सम्पूर्ण जांच पत्रादि के एफ.आई.आर. दर्ज कर अनुसंधान कार्य श्रीमान की सेवामें सादर प्रस्तुत है, इत्यादि । मजमून जांच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के मुकदमा नं0 10/2025 अपराध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 61(2), 111(2) (11) (4) बी.एन व धारा 66सी, 66डी आईटी एक्ट में दर्ज कर निर्देशानुसार अनुसंधान प्रेम कुमार आरपीएस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त भंवानीमडी द्वारा प्रारम्भ किया गया। जिनके द्वारा दौराने अनुसंधान अब तक 27 गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये।

3- बहस जमानत प्रार्थना-पत्र सुनी गई। केस-डायरी का अवलोकन किया गया।

4- विद्वान अधिवक्तागण, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा प्रार्थना-पत्र के अनुरूप बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्दोष है, उनका अपराध से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त संदीप शर्मा अपनी आजीविका चलाने के लिये आई.टी. कम्प्यूटर मास्टर ब्लेसिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जालंधर में ऑफिस का संचालन करता है, जो रजिस्टर्ड है। उसने राजकोष या सह अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार का अवैध ट्रांजेक्शन नही किया है। संदीप शर्मा द्वारा आई.टी. का काम करवाने के लिए व्यक्ति आते थे। वह किसी जालसाजी करने वाले गिरोह या संगठन से जुड़ा हुआ नही है। प्रार्थी बंटी मीणा द्वारा जनमित्र का काम किये जाने के कारण उसके पास व्यक्ति काम करवाने आते थे। उसके द्वारा किसी भी प्रकार से राजकोष या सहअभियुक्तगण से किसी प्रकार का अवैध ट्रांजेक्शन नही किया है। प्रार्थीगण

काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने से उनके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा तथा उन्हे समाज में अपमानित होना पड़ेगा। प्रकरण के अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में लंबा समय लगेगा। प्रार्थी संदीप शर्मा जिला कपूरथला पंजाब का तथा शेष सभी अभियुक्तगण झालावाड़ जिले के स्थायी निवासी है, जिनके बाद जमानत भागने, फरार होने अथवा गवाहान को डराने-धमकाने का अंदेशा नहीं है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना करने को तत्पर है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ने का निवेदन किया।

5- विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध सिंडिकेट का सदस्य होते हुए संगठित अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण, लोकसेवक के नाते आपराधिक न्यास भंग, छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, छल के प्रयोजन से दस्तावेजात की कूटरचना, कम्प्यूटर संसाधनो का दुरूपयोग कर दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी व पहचान की चोरी करने संबंधी गंभीर अपराध के आरोप है। धोखाधड़ी व छल कर भारी मात्रा में राजकोष का गबन किया गया है। अभी प्रकरण अनुसंधानाधीन है जिसमें अभी अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अनुसंधान करना शेष है। यदि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया गया तो साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ व अनुसंधान प्रभावित होने का अन्देशा है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

6- उभय पक्ष के तर्को पर गम्भीरतापूर्वक मनन करते हुए केस डायरी का अवलोकन किया गया। हालांकि अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना प्रकट नही है। किन्तु केस डायरी के अवलोकन से प्रकट है कि प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान से प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 316(2), 316(5), 318(4), 319(2), 336(3), 61(2), 111(2)(ii), 111(4) भा.न्या.सं. 66(C), 66(D) IT Act का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अब तक किये गये अनुसंधान के अनुसार **अभियुक्त बंटी मीणा पुत्र रामप्रसाद** निवासी अकतासा थाना असनावर के संबंध में अनुसंधान से उक्त अभियुक्त प्रकरण के मुख्य सरगना रामवतार सैनी के सीधे सम्पर्क वाला एजेन्ट होना पाया गया है, जो जिला झालावाड के रायपुर, बकानी व कामखेडा क्षेत्र से अपने लोकल एजेन्ट्स के माध्यम से अपात्र लोगों का डाटा इकट्ठा कर बल्क में रामवतार सैनी को उपलब्ध कराकर पीएम किसान योजना में फर्जी तरीके से नाम जुडवाने व लैण्ड सीडिंग करवाने का कार्य कर रहा था। अभियुक्त के

कब्जे से 01 कम्प्युटर सैट मय 03 प्रिन्टर, 01 फिंगर स्कैनर, निस्क्तता प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, रजिस्ट्रर, मोबाईल फोन व 20900 रूपये नगद राशी बरामद हुई है तथा एक्सल व पीडीएफ फाइलों में रामवतार सैनी को उपलब्ध कराये गये का वृहद स्तर का डिजीटल डाटा बरामद हुआ है। **अभियुक्त ललित मीणा पुत्र अमोलक चन्द** निवासी खरेडिया प्रकरण के सरगना रामअवतार के साथ साथ राजू सैनी व आशिक अली के लोकल एजेन्ट के तौर पर कार्य करते हुए गांव देहात मे सरकारी योजनाओं के लिये पूर्णतया अपात्र लोगों से सम्पर्क कर उन्हे पात्रता सूची मे शामिल करवाकर पीएम किसान व पेन्शन योजनाओं का लाभ दिलवाने का झांसा देकर उनसे आधार कार्ड बैंक खाता, आईएफएससी, जनआधार कार्ड व मोबाईल नम्बर आदि का डाटा भय एडवान्स राशि प्राप्त कर इन लोगों को उपलब्ध करवाता था। अभियुक्त ललित द्वारा अपने भाई बन्टी मीणा को भी सब ऐजेन्ट के रूप में रखकर अपराध मे सहयोग प्राप्त किया जाना पाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बड़ी मात्रा मे आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड विभिन्न बैंको के डेबिट कार्ड, चैक बुक, पास बुक, लेपटॉप, मोबाईल व प्रिन्टर बरामद हुए है। मुल्जिम के कब्जे से बरामद डिजिटल डिवाईस एण्डरॉयड मोबाईल फोन मे पीएम किसान, Raj SSP, DMIS, PPO से सम्बन्धित वृहद स्तर का डिजिटल डाटा Excel, pdf, docx files मे रामअवतार सैनी के साथ साझा किये हुए तथा रामअवतार सैनी तथा ललित मीणा के मध्य अपराध के काम मे लाखों रूपयों की धनराशि बाबत ट्रान्जेक्शन डाटा और भारी मात्रा मे अपात्र लाभार्थी जिन्हे फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं मे जुडवाया गया, का डिजिटल डाटा बरामद हुआ है। मुल्जिम द्वारा अपराध से अर्जित आय से क्रय किये हुए वाहन 01. बोलरो रजि. न. आरजे 17 यूए 8074 व 03 हीरो स्पलेण्डर मोटरसाईकिलें रजि. न. आरजे 17 एसवी 9523, आरजे 17 बीएस 5514 व एक बिना नम्बरी भी बरामद हुए है। **अभियुक्त सुनिल साहू पुत्र बाबू साहू** निवासी सरेडी प्रकरण के मुख्य सरगना रामवतार सैनी व उसके समानान्तर अपराधी भागचन्द सैनी के सीधे सम्पर्क वाला अकलेरा क्षेत्र का मुख्य ऐजेन्ट होना एवं पीएम किसान योजना के साथ साथ Raj SSP व DMIS योजनाओं मे बहुत बडे स्तर पर कार्य कर अपात्र लोगों को गलत तरीके से पात्रता सूची मे जुडवाकर मोटा अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना पाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त उपकरण 01 लेपटॉप, 01 कम्प्युटर सैट, फोटो प्रिन्टर मशीन, वाई-फाई मोडेम, 02 बायोमेट्रीक फिन्गर मशीन, 01 मोबाईल, 10 बैंक पासबुक, 03 चैक बुक, 09 एटीएम डेबिट किताब कार्ड, 22 आधार कार्ड, 20 बोटर आईडी, 02 ई-मित्र मोहर, 01 हार्डडिस्क, हिसाब डायरिया, सीम कार्ड व नगदी 1170 रूप्ये वक्त चैकिंग बरामद हुई है। बरामद

डिजीटल डिवाईसेज लेपटॉप व एंड्रायड मोबाईल फोन से सब ऐजेन्ट व सीधे अपात्र लोगों से एकत्र किया हुआ डाटा व बल्क डाटा को एक्सल व पीडीएफ फाइलों में रामवतार व भागचन्द सैनी को उपलब्ध करवाया गया वृहद स्तर का डिजीटल डाटा एवं ट्रांजेक्शन बाबत संदिग्ध डाटा बरामद हुआ है। मुल्जिम के कब्जे से अपराध द्वारा अर्जित आय से क्रय किया हुआ वाहन एक मोटरसाईकल हीरो स्पलेण्डर बिना नम्बरी भी बरामद हुई है।**अभियुक्त हरिप्रसाद पुत्र चौथमल** जाति पारेता निवासी अकलेरा प्रकरण के सरगना रामअवतार सैनी के मुख्य ऐजेन्ट राजेन्द्र पारेता निवासी अकलेरा का पिता है। जिसने सर्वप्रथम स्वयं के एसबीआई खाता संख्या 30670089754, फिनो बैंक खाता संख्या 20012702273, बडोदा ग्रामीण बैंक के खाता संख्या 45680100608930, सेन्ट्रल बैंक खाता संख्या 5286792560. इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट बैंक खाता संख्या 406110076894 व बैंक ऑफ बडोदा खाता संख्या 32958100025773 को पीएम किसान व अन्य योजनाओं में अपात्र होते हुए भी फर्जी तरीके से जुडवाया साथ ही स्वयं के अन्य परिजनों नीरज पारेता, प्रिया पारेता, निर्मला बाई, मिनाक्षी पारेता, जितेन्द्र पोरता, चोथमल पारेता, रितिक पारेता, मोहित पारेता, मुकेश पारेता, रचना पारेता, धापू पारेता, अंजलि पारेता, राजेश पोरता, गुलाब बाई के बैंक खाते इन योजनाओं में फर्जी तरीके से जुडवाकर अपात्र होते हुए भी गलत तरीके से योजनाओं का लाभ प्राप्त कर राजकोषीय धनराशि का दुर्विनियोग किया जाना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के पुत्र राजेन्द्र पोरता का सहयोग करते हुए गांव देहात से अपात्र लोगों को झांसा व प्रलोभन देकर उन्हे राजेन्द्र पारेता से मिलवाना तथा राजेन्द्र पारेता द्वारा उन लोगों के डाटा को रामअवतार सैनी को उपलब्ध करवाया जाना पाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 लेपटॉप मय की-बोर्ड, 01 रंगीन प्रिंटर, 01 सादा प्रिन्टर, 01 नोट गिनने की मशीन, 02 क्युआर कोड मशीन, 01 फिगर स्कैनर, 02 पैन ड्राईव, 02 मोहरे, 08 बैंक पासबुक, 21 चैक बुक, 04 रजिस्ट्रर, 27 एटीएम कार्ड, 06 आधार कार्ड, 04 पैन कार्ड, 07 मोबाईल, स्वंय के पुत्र व फरार अभियुक्त राजेन्द्र पारेता का पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज बरामद हुए है। बरामद हुए डिजिटल डिवाईस लेपटॉप मे बडी संख्या मे लोगों के आधार कार्ड, जन अधार कार्ड, बैंक डायरी, श्रमिक फॉर्म, बैंक अकाउन्ट नम्बर मय आईएफएससी कोड, अलग-अलग फाईल्स व फोल्डर में डिजिटल साक्ष्य के रूप में रिकवर हुआ है। अभियुक्त हरिप्रसाद के कब्जे से इसके व इसके पुत्र राजेन्द्र पोरता द्वारा अपराध से अर्जित आय से क्रय की हुई एक स्विफ्ट वीडीआई आर रजि. नं. आरजे 17 सीसी 1658 व एक मोटरसाईकिल बजाज प्लसर रजि. न. आरजे 17 एएस 2487 भी बरामद हुए है।**अभियुक्त धनराज पुत्र श्री चान्दमल** मीणा

निवासी बरडावदा थाना अकलेरा भीप्रकरण के मुख्य सरगना रामअवतार के सीधे सम्पर्क वाला। जिसके द्वारा बडी संख्या मे अपात्र लोगों का नीजी डाटा व 3,000 प्रति अकाउन्ट एडवान्स राशि प्राप्त कर अपने हिस्से की 600 रूपये कमीशन राशि रखते हुए संकलित डाटा मय शेष एडवान्स 2400 रु. प्रति अकाउन्ट राशि रामअवतार सैनी को उपलब्ध करवाया जाना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा स्वयं के परिवार के सदस्यों जो कि किसी भी योजना के लिये पात्रता नही रखते उन्हे भी फर्जी तरीके से पात्रता सूची मे फरार अभियुक्त राजेन्द्र पारेता के साथ कार्य करते हुए जुडवाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनआधार कार्ड, विभिन्न बैंको के एटीएम, डेबिट कार्ड, विजा कार्ड, फीनो बैंक के 11 डेबिट कार्ड 01 मोबाईल व 01 लेपटॉप बरामद हुए है। बरामद डिजिटल डिवाईस लेपटॉप से वृहद स्तर पर अपात्र लोगों का नीजी डाटा, excel, pdf and docx Files मे मौजूद तथा मुख्य अपराधी रामअवतार सैनी व साथी अपराधी राजेन्द्र पारेता के साथ साझा किये हुए का डिजिटल रिकॉर्ड तथा अन्य डिजिटल डिवाईस एण्डरॉयड मोबाईल फोन मे राजेन्द्र पारेता व रामअवतार सैनी के साथ स्वयं के परिजनों के अकाउन्टस फर्जी तरीके से जुडवाने तथा बडी संख्या मे अन्य अपात्र लोगों का नीजी डाटा की फाईलें बैंक खातों की डिटेल्स, मणिपुर किसान मध्य योजना का लिंक व यूआरएल डाटा बरामद हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध से अर्जित आय से क्रय की हुई एक मोटरसाईकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस रजि.नंबर आरजे 17 जीएस 5833 भी बरामद हुई है। **अभियुक्त परमानंद पुत्र पूरीलाल** मीणा निवासी फोकरड़ा थाना अकलेरा अभियुक्त परमानंद मीणा प्रकरण के मुख्य सरगना रामावतार सैनी के बिल्कुल नीचे की कडी का सीधे संपर्क वाला मुलजिम है जो प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है जिसके मोबाईल नम्बर 7742133757 से स्वयं की पत्नी सन्तोष बाई एसबीआई बैंक खाता संख्या 34398421309 व अन्य परिजन रिंकु मीणा के एसबीआई बैंक खाता संख्या 37002559554 लिंक होकर इन खातो में एक ही दिवस में अनेको बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की धनराशि जमा होना, पत्नी संतोषबाई के खाते में तो एक ही दिनांक 10.03.2022 को विभिन्न पेन्शन योजनाओं की राशि 50 बार जमा होना बतौर कमीशन मुख्य सरगना रामअवतार सैनी को लाखो रूपये जर्ये ऑनलाईन पेमेण्ट करना पाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 कम्प्युटर सैट मय कलर प्रिन्टर, 01 फिगर स्कैनर, 03 माबाईल व नगदी 3300 रूपये बरामद हुई है। बरामद डिजीटल डिवाईस में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बडी संख्या मे इनएक्टिव हुए अकाउण्टस को एक्टिव कराने के लिये संकलित किया हुआ डाटा अलग-अलग फोल्डर में एक्सल व पीडीएफ मोड में इन्टरनल मेमोरी

तथा अभियुक्त रामअवतार सैनी के साथ-साथ रोहिताश सैनी व राजुलाल सैनी के साथ साझा किये हुए का डिजीटल डाटा व संदिग्ध ऑनलाईन ट्रान्सजेक्शन रिकवर हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध से अर्जित आय से क्रय की हुई एक मारूति अल्टो के 10 रजि. न. आरजे 45 सीजी 0065 बरामद हुई है। **अभियुक्त रामबाबू पुत्र चैनसिंह** तंवर निवासी तलाई बेह का मुख्य सरगना रामवतार सैनी के सेकण्ड लेयर का साथी अपराधी होना पाया गया है जो प्रकरण के अन्य अभियुक्तों बिहारीलाल, शिवनारायण व सुनील साहू के साथ मिलकर रामवतार के लिए कार्य कर रहा था। इस अभियुक्त के कब्जे से स्वंय के 05 एटीएम डेबिट कार्ड, भारी मात्रा में अन्य लोगो के दस्तावेज 06 पैन कार्ड, 05 चैक बुक, 42 बैंक पासबुक, 113 आधार कार्ड, 54 जन आधार कार्ड, 11 वोटर आईडी, 57 फोटो, संदिग्ध जमीन खरीद परोख्त के 10 बेचाननामा व पटटे, 10 जॉब कार्ड, 11 श्रमिक कार्ड, 17 राशन कार्ड, 17 जामाबंदी नकल, 02 मोबाईल 01 लेपटॉप, 01 कम्प्युटर सैट मय 02 मॉनीटर, 01 एंड्रायड, 01 आईफोन व 1,12,350 रूपये नगद बरामद हुए है। बरामद डिजीटल डिवाईस एंड्रायड मोबाईल फोन में पीएम किसान सम्मान निधि व अन्य योजनाओं में अपात्र लोगों को फर्जी तरीके से जुडवाकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये डाटा अन्य अभियुक्तों बिहारीलाल, शिवनारायण, सुनील साहू व साहू व रामवतार सैनी के साथ साझा किया हुआ, बडे स्तर पर लोगों के दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक डायरी, एटीएम कार्ड, बैंक डिटेल्स व फोन पे ट्रान्जेक्शन का संदिग्ध डिजिटल डाटा बरामद हुआ है। अभियुक्त रामबाबू के मोबाईल नम्बर 9829905140 से BOB, IPPB, HDFC, BRKGB,CBI,SBI के 12 बैंक खाते एवं अन्य परिजनों के बैंक खाते भी जुडे होकर उन बैंक खातों मे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की भारी मात्रा मे सभी बैंक खातों मे कोटा, जयपुर, अलवर, श्री गंगानगर, बांरा, झालावाड, बून्दी, अजमेर बांसवाडा के राजकीय कोष कार्यालयों से एक ही तारीख मे दर्जनों बार धनराशि जमा होना तथा 75,600 रूपये रामअवतार सैनी के खाते मे बतौर कमीशन पेमेन्ट किया से अपराध द्वारा अर्जित आय से क्रय किये हुए वाहन एक बोलरो रजि. न. आरजे 17 यूए 852 व एक मोटरसाईकल हीरो स्पलेण्डर रजि.न. आरजे 17 ईएस 2427 भी बरामद हुई है। **अभियुक्त सुजानसिंह पुत्र भागचंद** लोधा निवासी जीतापुरा प्रकरण के मुख्य सरगना रामवतार सैनी के सीधे सम्पर्क वाला एजेन्ट होना पाया गया है, जिसने सर्वप्रथम स्वयं व परिवारजनों के अनेको खाते पीएम किसान एवं अन्य योजनाओं में फर्जी तरीके से जुडवाने के लिये उपलब्ध करवाना उसके बाद अन्य अपात्र लोगों के अकाउन्ट जुडवाने के लिये उनके दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आईएफएससी, जनआधार कार्ड

व मोबाईल नम्बर आदि का नीजी डाटा डाटा मय एडवान्स राशि प्राप्त कर अभियुक्त रामअवतार सैनी को बल्क मे उपलब्ध करवाकर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना पाया गया है। अभियुक्त सुजान सिंह के कब्जे से वक्त चैकिंग 01 पॉस मशीन, 02 फिगर प्रिन्ट स्कैनर, 20 आधार कार्ड.03 भामाशाह कार्ड, 07 जनआधार कार्ड, 11 वोटर आईडी, 74 एटीएम कार्ड, 21 बैंक पासबुक, 1,40,400 रूप्ये नगद, मोबाईल फोन व अन्य कई दस्तावेज बरामद हुए है। बरामद डिजिटल डिवाईस एण्ड्रॉयड मोबाईल फोन मे मुख्य सरगना रामअवतार सैनी के साथ अनेको व्हाट्सएप चैट्स, वॉयस कॉल व अपराध से सम्बन्धित डाटा रिकवर हुआ है। अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सुमन से बरामद डिजिटल डिवाईस मे भी अभियुक्त सुजान सिंह द्वारा बडी मात्रा मे धनराशि व डाटा साझा करने का डिजिटल डाटा मिला है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध से अर्जित अवैध कमाई से क्रय की हुई एक मारूति इको कार रजि. न. आरजे 17 सीसी 0083 भी जप्त की गई है। **अभियुक्त सन्दीप शर्मा निवासी जालन्धर पंजाब** प्रकरण में सरगना रामअवतार सैनी के पंजाब मोड्यूल का मुख्य अपराधी है जिसकी जालन्धर पंजाब स्वयं की Master Blessing technologies के नाम से सॉफ्टवेयर कम्पनी है। अभियुक्त सन्दीप शर्मा द्वारा अभियुक्त रामअवतार सैनी से मोटा अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त कर पीएम किसान योजना के समानान्तर हुबहु मणिपुर किसान मध्य योजना के नाम से क्लोन वेबसाईट डवलप एवं डिजाईन किया जाना पाया गया है। अभियुक्त सन्दीप शर्मा के कब्जे से डिजिटल डिवाईसेज 04 लेपटोप . 0 हार्ड डिस्क 02 बैंक डायरी, 01 एण्डरॉयड मोबाईल फोन बरामद हुई है। बरामद हुए डिजीटल डिवाईसेज का विश्लेषण करने पर रामअवतार सैनी द्वारा सन्दीप शर्मा को किये गये यूपीआई पेमेन्ट ट्रान्जेक्शन. सॉफ्टवेयर डवलपर रोहित शर्मा को पीएम किसान योजना की एचटीएमएल स्क्रिप्ट, कोडिंग व आईडी पासवर्ड भेजकर उसे एक्सेस करने तथा लिंक लोगिन करने के बाद सैशन एक्सपायर नही होकर ओटीपी बाईपास करने का डाटा तथा इन डाटा को सुनन्त शर्मा व रामअवतार सैनी के साथ साझा करने के डिजिटल साक्ष्य (chats, html coding, excel,pdf and docx. files) बरामद हुए है। ज्ञातव्य है कि उक्त मणिपुर किसान मध्य योजना नाम की कोई भी योजना/कार्यक्रम किसी भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित नही है। मात्र लोग को इस योजना मे रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ दिलाने का झांसा देकर अनुचित लाभ प्राप्त कर फर्जी तरीके से पीएम किसान योजना या अन्य योजनाओं में नाम जोडने के फर्जी वेबसाईट डवलप किया जाना पाया गया है। **अभियुक्त बन्टी मीणा पुत्र रामप्रसाद** निवासी अकतासा थाना असनावर प्रकरण के मुख्य सरगना रामवतार सैनी के सीधे सम्पर्क वाला एजेन्ट होना पाया गया है,

जो जिला झालावाड के रायपुर, बकानी व कामखेडा क्षेत्र से अपने लोकल एजेन्ट्स के माध्यम से अपात्र लोगों का डाटा इकट्ठा कर बल्क में रामवतार सैनी को उपलब्ध कराकर पीएम किसान योजना में फर्जी तरीके से नाम जुडवाने व लैण्ड सीडिंग करवाने का कार्य कर रहा था। अभियुक्त के कब्जे से 01 कम्प्युटर सैट मय 03 प्रिन्टर, 01 फिगर स्कैनर, निस्क्तता प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक, रजिस्ट्रर, मोबाईल फोन व 20900 रूपये नगद राशी बरामद हुई है। बरामद डिजीटल डिवाईस एंड्रायड मोबाईल फोन से पीएम किसान व लेण्ड सीडिंग के लिए लोकल एजेन्ट्स से प्राप्त डाटा व बल्क डाटा को एक्सल शीट में तैयार कर एक्सल व पीडीएफ फाइलों में रामवतार सैनी को उपलब्ध कराये गये का वृहद स्तर का डिजीटल डाटा बरामद हुआ है। **अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सुमन पुत्र हरिशचंद सुमन** निवासी अकतासा यह अभियुक्त प्रकरण के मुख्य सरगना रामवतार सैनी के सीधे सात्रिका मुख्य ऐजेण्ट होना एवं पीएम किसान योजना के साथ साथ Raj SSP व DMIS योजनाओं ने बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर अपात्र लोगों को गलत तरीके से पात्रता सूपी में जुडवाने का झांसा देकर उनसे कमीशन के रूप में एडवान्स राशि प्राप्त कर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करना पाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से भारी मात्रा में लोगों के विभिन्न बैंक के 20 एटीएम कार्ड, 20 आधार कार्ड, 02 गैस कार्ड, 34 जन आधार कार्ड, 28 चैक बुक, सीम कार्ड, 07 भामाशाह कार्ड, 03 राशन कार्ड, 06 बैंक पासबुक, 04 पैन कार्ड, 03 श्रमिक कार्ड, 06 वोटर आईडी, 59500 रूपये नगद हिसाब-किताब की डायरियां, स्वंय के आईडी कार्ड व 02 मोबाईल फोन बरामद हुए है। बरामद डिजीटल डिवाईसेज लेपटॉप व एंड्रायड मोबाईल फोन से पीएम किसान लेण्ड सीडिंग के सम्बन्ध में अपात्र लोगों से एकत्र किया हुआ डाटा व बल्क डाटा को एक्सल शीट में तैयार कर एक्सल व पीडीएफ फाइलों में रामवतार सैनी को उपलब्ध करवाया गया वृह्द स्तर का डिजीटल डाटा एवं ट्रांजेक्शन बाबत संदिग्ध डाटा बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा फसल खराबी मुआवजा के लिये आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली (DMIS) व विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनाओं (वृद्ध विधवा विकलांग) मे अपात्र लोगों को स्वयं के द्वारा ही विभिन्न नोडल अधिकारियों के लोगिन आईडी पासवर्ड व ओटीपी बाईपास का कार्य कर पात्रता सूची में जोड देने तथा पात्र लोगों को स्वीकृत राशि अपात्र लोगों के खातों में हस्तान्तरण अप्रूवल करने का कार्य किया गया है। अभियुक्त चन्द्रप्रकाश के कब्जे से बरामद डिजिटल डिवाईस मोबाईल फोन से उसके फोन पे यूपीआई आईडी 7742391734@ybl से SBI, BOB, ICICI, FINO, APB, IPPB & CBI के 07 बैंक खाते लिंक हॉकर वृहद स्तर पर संदिग्ध धनराशि का ट्रान्सफर तथा 20,68,300 रू. बतौर कमीशन रामअवतार सैनी को ऑनलाईन

ट्रान्जेक्शन किया हुआ होना, साथ ही प्रकरण के अन्य अभियुक्तों कुलदीप कारपेन्टर, राजू तंवर निवासी छान, सुजान सिंह लोधा व चेतराम सैनी के साथ भी भारी मात्रा मे डिजिटल डाटा व संदिग्ध राशि साझा किये हुए होने की डिजिटल साक्ष्य रिकवर हुई है। इस अभियुक्त द्वारा अपराध मे प्रयोग किया गया अन्य डिजिटल उपकरण लेपटॉप, इसी के सहयोगी अपराधी अंकित सुमन के कब्जे से बरामद हुआ है जिसमे भी वृहद स्तर का डाटा word and docx. pdf and excel Files मे बरामद हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध द्वारा अर्जित आय से क्रय किया हुआ लक्जरी एसयूवी कार किया सेल्टोन रजि. न. आरजे 17 यूए 9096 व मोटरसाईकल बजाज प्लसर 150 सीसी आरजे 17 एसवी 13 भी बरामद हुए है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सिंडिकेट का सदस्य होते हुए संगठित अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण, लोकसेवक के नाते आपराधिक न्यास भंग, छल, प्रतिरूपण द्वारा छल, छल के प्रयोजन से दस्तावेजात की कूटरचना, कम्प्यूटर संसाधनो का दुरूपयोग कर दूसरे व्यक्ति का रूप धारण कर धोखाधड़ी व पहचान की चोरी करने संबंधी गंभीर अपराध कारित करते हुए भारी मात्रा में राजकोष की चोरी कर जनता से धोखाधड़ी कर विभिन योजनाओं एवं राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा नही चलायी जा रही योजनाओं के नाम पर भी करोड़ों रूपये की राशि हड़प कर गबन करना अब तक के अनुसंधान से प्रमाणित पाया गया है और यह राशि आगे चलकर अनुसंधान से कई सौ करोड़ रूपये भी हो सकती है। माननीय जम्मु एण्ड कश्मीर एण्ड लद्दाख उच्च न्यायालय श्रीनगर द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र सं0 88/2025 आमीर बशीर माग्रेय व अन्य बनाम यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर आदेश दिनांक 18.07.2025 में भी साईबर अपराध से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का विस्तार से उल्लेख कर अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान नही किया गया। हस्तगत प्रकरण अभी अनुसंधानाधीन है जिसमें अभी अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अनुसंधान किया जाना शेष है। यदि इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जाता है तो अनुसंधान एवं साक्ष्य के प्रभावित होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। अतः इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रकरण के तथ्यों-परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7- अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **सुनील कुमार साहू, हरिप्रसाद, धनराज, ललित मीणा, बंटी मीणा पुत्र अमोलकचंद, परमानंद, रामबाबू, सुजान सिंह लोधा, संदीप शर्मा, बंटी मीणा पुत्र रामप्रसाद एवं चन्द्रप्रकाश सुमन** की ओर

से प्रस्तुत यह जमानत के पांचों प्रार्थना-पत्र अंतर्गत 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस प्रकरण में **अस्वीकार** कर **खारिज** किये जाते है।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़

8- आदेश आज दिनांक **10.11.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(आलोक सुरोलिया)
सेशन न्यायाधीश
झालावाड़

प्रमाण पत्र

आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(पवन कुमार भारद्वाज)
सी0 मुंसरिम

नोटः- यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।